

Annexure-I

**FORM-I**  
(for Linear Projects)  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector, Chamoli**

No. /

Dated : / /2014


**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 1.253 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road in district Chamoli Under Atal Adarsh Gram Yojana** falls within jurisdiction of Thapli Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.253 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

  
**Sanjay Kumar**  
District Magistrate  
Chamoli, Uttarakhand


Annexure-I

**Office of the District Collector,  
District-Chamoli (Uttarakhand)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006**

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.01.2015..... At 14.01.2015 at Chamoli in which the application claiming rights in village Thapli of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.253 Hectares for the **Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road in district Chamoli Under Atal Adarsh Gram Yojana** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

  
- Sanjay Kumar  
District Magistrate -cum-  
Chairman, District Level  
Committee, Chamoli



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- सिटील आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली  
में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से  
शापली तक मोटर मार्ग का निर्माण,  
कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत नौली बाजार से शापली तक  
हे० आरक्षित वन भूमि, 1:253 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि  
हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1:253 हे० वन भूमि ) का  
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और  
अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 13-01-15 को  
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विश्वनाथ सिंह नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विश्वनाथ सिंह नेगी उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग अध्यक्ष
- 2- श्री शिवानन्द सुशान उपप्रभागीय वनाधिकारी चमोली सदस्य
- 3- श्री मोहन सिंह मज्झरी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य / सचिव
- 4- श्री महिपाल सिंह नेगी वनाधिकार समिति सदस्य
- श्रीमती सुशीला रावत वनाधिकार समिति सदस्य
- श्री मालवर पुमोहित वनाधिकार समिति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करने का कार्य सम्पन्न है।



संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कपी प्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपी प्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौली ताजार से प्राप्त की गई जमीन परियोजना के निर्माण हेतु 1.25.3 हे० वन भूमि ले. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कपी प्रयाग

जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- कपी प्रयाग  
जनपद चमोली



प्रपत्र-23.1  
परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड आवास ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमौली में  
विनासरतपु (कृषिप्रधान) में नौली बाजार से चापली तक  
मोटर मार्ग का निर्माण।  
वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्रामपंचायत का नाम चापली  
तहसील कृषिप्रधान जिला चमौली

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमौली अन्तर्गत विनासरतपु (कृषिप्रधान) में नौली बाजार  
से चापली तक परियोजना के निर्माण हेतु (1.25) हे० आरक्षित वन भूमि, 1.25 हे० सिविल  
सोयमभूमि, 1.25 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.25 हे० वनभूमि का बो. वि. वि.  
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने  
हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चापली द्वारा दिनांक 15-1-15 को सम्पन्न  
ग्रामसभा/ग्रामपंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में  
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वनअधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी  
गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि  
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि  
पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित  
किया गया कि ग्राम चापली के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि बो. वि. वि.  
प्रयोक्ता एजेन्सी का परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।  
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्रामसचिव/ग्राम पंचायत चापली  
विकास खण्ड कृषिप्रधान



नोट :-\* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी  
को उपलब्ध कराया जायेगा।



ग्रामपंचायत ..... थापली

[illegible]